न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 43/2022 अपील

1. नन्दलाल पिता भैरूलाल गाडरी निवासी रेणवास तहसील कोटडी	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार बडलियास, तहसील कोटडी
–अपीलार्थी		–रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, अपील विरूद्व नायब तहसीलदार बडलियास प्रकरण संख्या 188/2022 निर्णय दिनांक 10.03.2022

उपस्थित –
श्री श्याम लाल गुर्जर अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 12.07.2022

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार बडलियास प्रकरण सं0 188/2022 निर्णय दिनांक 10.03.2022 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी गेंदलिया ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि अपीलार्थी ने ग्राम रेणवास तहसील कोटडी में स्थित आराजी खसरा संख्या 1158/356 रकबा 0.0500 हैक्टेयर किस्म गेमु मंगरी भूमि पर चार दिवारी व पडत होने का उल्लेख करते हुए संवत् 2078 में अतिक्रमण करने बाबत् अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय पर प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर अपीलार्थी को रा०भू० अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया। नियत तारीख पेशी पर अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तथा यह कथन किया कि ग्राम रेणवास तहसील कोटडी की

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आराजी खसरा संख्या 1158/356 रकबा 0.0500 है0 पर कोई अतिक्रमण नहीं किया बल्कि तहसीलदार साहब कोटडी ने अपने आदेश कमांक राजस्व/97/ 559–60 दिनांक 03.09.1997 से अपीलार्थी के स्व0 पिता भैरू पिता चूना गाडरी को ग्राम रेणवास तहसील कोटडी की आराजी नम्बर 356 मी. में 04 बिस्वा भूमि पशु बाधनें व घास आदि रखने के लिये बाडा बनाने हेतु आंवटन की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के स्व० पिता के जीवन काल में बाडा बनाने हेतु आवंटित की गई भूमि पर अतिक्रमी मानने में कानूनी भूल की है, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में अतिक्रमण वर्ष 2000 के बाद का होना अपने निर्णय में उल्लेखित किया जो त्रुटि पुर्ण होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्पीकिंग आर्डर न होकर वेग टाईप होने से अपास्त योग्य है अधीनस्थ न्यायालय में अपने आदेश में अपीलार्थी को नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित भी बताया व उपस्थित भी बताया तथा अतिक्रमण वर्ष 2000 के बाद का होने का अपने निर्णय में उल्लेख किया जो कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त योग्य है। अपीलार्थी के स्व० पिता भैरू पिता चूना गाडरी को तहसीलदार कोटडी द्वारा बाड़े के लिये आंवटित की गई भूमि पर चार दिवारी निर्मित करा घास आदि रखने के लिये एक मकान का निर्माण किया हुआ है तथा पशु बांधने की व्यवस्था की हुई है इस प्रकार अपीलार्थी का कोई विधि विरूद्ध अतिक्रमण नहीं होकर अपने स्व० पिता को बाड़े के लिये आंवटित भूमि पर काबिज होकर वर्ष 1997 से अपने स्व० पिता भैरू पिता चूना व पिता के निधन के पश्चात अपीलार्थी भौतिक रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जो वर्ष 2000 से पहले का सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी अपीलार्थी को नही थी। दिनांक 06.06.2022 को अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के कार्यालय में जाकर जानकारी की गई तो अवगत कराया कि आपको अतिक्रमी घोषित किया जाकर शास्ति आरोपित करते हुए दिनांक 10.03.2022 को बेदखली के आदेश पारित किये जा चुके है। उसी समय आदेश की प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया व प्रतिनिधि उपलब्ध होते ही यह अपील मेमो तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है जो तारीख जानकारी से अन्दर अवधि है। फिर भी विलम्ब को क्षमा कराने के लिये दफा 5 कानूनी मियाद प्रार्थना पत्र अपील मेमो के

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कराई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्ररकण संख्या 188/2022 में दिनांक 10.03.2022 को पारित किया गया निर्णय निरस्त कराया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित कराया जाये कि अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी भू भाग पर भौतिक रूप से बाडे के लिये आवंटित भूमि पर काबिज है ऐसे आवंटी के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही किया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 20.06.2022 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तथा यह कथन किया कि ग्राम रेणवास तहसील कोटडी की आराजी खसरा संख्या 1158/356 रकबा 0.0500 है0 पर कोई अतिक्रमण नहीं किया बल्कि तहसीलदार साहब कोटडी ने अपने आदेश कमांक राजस्व/97/ 559–60 दिनांक 03.09.1997 से अपीलार्थी के स्व0 पिता भैरू पिता चूना गाडरी को ग्राम रेणवास तहसील कोटडी की आराजी नम्बर 356 मी. में 04 बिस्वा भूमि पशु बाधनें व घास आदि रखने के लिये बाडा बनाने हेतु आंवटन की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के स्व० पिता के जीवन काल में बाडा बनाने हेतु आवंटित की गई भूमि पर अतिक्रमी मानने में कानूनी भूल की है, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में अतिक्रमण वर्ष 2000 के बाद का होना अपने निर्णय में उल्लेखित किया जो ऋटि पुर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपील अपीलार्थी स्वीकार कराई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्ररकण संख्या 188/2022 में दिनांक 10.03.2022 को पारित किया गया, उसे निरस्त कराया जावे।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाण्ट ने ग्राम रेणवास के खसरा नम्बर 1158/356 रकबा 0.0500 हैक्ट. भूमि पर पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का ने धारा 91 की रिपोर्ट पेश की थी। अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए नायब तहसीलदार बडलियास ने प्रकरण सं. 188/2022

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निर्णय दिनांक 10.03.2022 से अतिक्रमी को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं वार्षिक लगान का 50 गुणा, 50/–रूपये शास्ति आरोपित कर बेदखली का जो निर्णय पारित किया गया वह सही है, उसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हैं। अपीलाण्ट की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया गया कि अपीलार्थी ने अपील मेमों के साथ तहसीलदार कोटडी द्वारा वर्ष 1997 में अपीलार्थी के पिता को किया गया बाडा हेतु आवंटन आदेश की फोटोप्रति पेश कर निवेदन किया कि प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी को पूर्व में ही बाडा हेतु आवंटन हो चुका हैं तो 91 के तहत कोई कार्यवाही नही बनती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने जो धारा 91 के तहत अपीलार्थी के विरूद्व कार्यवाही कर बेदखली के आदेश पारित किये गये वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय हैं।

पत्रावली में संलग्न तथाकथित आवंटन आदेश की फोटोप्रति में स्पष्ट अंकन किया हुआ हैं कि आवंटन अस्थाई तौर पर किया जाता है। आवंटित भूमि पर प्रार्थी का अस्वामित्व अधिकार रहेगा। उक्त बाडे पर किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण नहीं किया जावेगा।

जबकि अपीलार्थी स्वयं ने ही अपनी अपील मेमों मे अंकन किया है कि उक्त आराजी पर अपीलार्थी ने चार दीवार निर्मित करा, एक मकान का भी निर्माण किया हुआ हैं। इससे स्पष्ट होता हैं कि यदि मान भी लिया जाये कि अपीलार्थी को कोई तथाकथित बाडे हेतु आवंटन किया गया हो, तो उस आवंटन की शर्तों का अपीलार्थी स्वयं ने स्थायी निर्माण कर शर्तों का उल्लघंन किया है।

अपीलार्थी के पिता को तथाकथित बाडे हेतु किया आवंटन अस्थायी तौर था। यदि अपीलार्थी का उस आराजी पर निरन्तर कब्जा था तो अपीलार्थी को उस आवंटन को स्थायी कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी थी। राजस्व रिकार्ड मे प्रश्नगत आराजी संख्या 1158/356 किस्म गे.मु. मंगरी होकर पडत थी। जिस पर अतिक्रमी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के पक्का

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

निर्माण करा अतिक्रमण किया हुआ था, जिस पर पटवारी हल्का ने अतिक्रमण रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 188/2022 निर्णय दिनांक 10.03.2022 को जो निर्णय पारित किया है, उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार, बडलियास बमामले प्रकरण सं. 188/2022 निर्णय दिनांक 10.03.2022 के क्रम में अपील आधारहीन एवं सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बडलियास को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा